

अनुदान संख्या 30 - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
GRANT No. 30- MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original	2555,74,00		
		2589,70,00	2563,29,42	- 26,40,58
पूरक	Supplementary	33,96,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			9,85,85
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित	Charged-			
पूरक	Supplementary	90,00	90,00	88,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			- 1,32
				शून्य Nil
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original	45,42,00		
		45,89,00	44,73,52	- 1,15,48
पूरक	Supplementary	47,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2640.58 लाख) अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹3396.00 लाख के पूरक अनुदानों का 78 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2640.58 lakhs) constituted 78 percent of the supplementary grants of ₹3396.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"			
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild Life			
मू.	O.	59380.00		
पू.	S.	958.00	66449.87	66262.29
पु.	R.	6111.87		- 187.58
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	19328.00		
पू.	S.	1.00	12.20	..
पु.	R.	-19316.80		- 12.20
मुख्य शीर्ष "3435"	Major Head "3435"			
परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	Ecology and Environment			
मू.	O.	145730.00		
पू.	S.	1811.00	152347.77	150986.97
पु.	R.	4806.77		- 1360.80
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	28291.00		
पू.	S.	1.00	35605.31	35531.46
पु.	R.	7313.31		- 73.85

(I) ₹21381.00 लाख का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹21217.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹21381.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under twenty one heads; of these ₹21217.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" - "वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम -

(A) Major Head "2406" - "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and

पीआरआई (एनसीएमपी संबंधित स्कीम) - पंचायत वन योजना के माध्यम से वनरोपण” - ₹2000.00 लाख ग्रीनिंग इंडिया मिशन के साथ स्कीम का आमेहन होने के कारण थे।

Eco- Development Programme – Afforestation through PRI’s (NCMP-related Scheme)/ Panchayat Van Yojna” – ₹2000.00 lakhs - due to merging of scheme with Greening India Mission

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” -

(B) Major Head “2552”-

(क) “पर्यावरणीय वानिकी - वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण-केंद्रीय प्राणित्तान प्राधिकरण” - ₹300.00 लाख ;

(a) “Environment Forestry Wild Life- Wild Life Preservation- Central Zoo Authority”- ₹300.00 lakhs;

(ख) “वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम” -

(b) “Afforestation and Eco-Development- National Afforestation and Eco-Development Programme”-

(i) “राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी - विकास बोर्ड” - ₹150.00 लाख;

(i) “National Afforestation and Eco-Development Board”- ₹150.00 lakhs;

(ii) “राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम” - ₹7500.00 लाख;

(ii) “National Afforestation Programme”- ₹7500.00 lakhs;

(ग) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवण/ पर्यावरणीय/ शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण विस्तार” - ₹500.00 लाख ;

(c) “Environmental Research and Ecological Regeneration/Environmental/Education/ Training/Extension - Environment Education and Training Extension”- ₹500.00 lakhs;

(घ) “राष्ट्रीय नदी के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम” - ₹2207.00 लाख;

(d) “Prevention of Pollution of National River- National River Conservation Programme”- ₹2207.00 lakhs;

(ङ) “वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भवण”- एकीकृत वन संरक्षण स्कीम” - ₹2080.00 लाख ;

(e) “Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration - Integrated Forest Protection Scheme”- ₹2080.00 lakhs;

(च) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण”-

(f) “Environmental Forestry and Wildlife- Wild Life Preservation”-

(i) “परियोजना बाघ ” - ₹4430.00 लाख ;

(i) “Project Tiger” - ₹4430.00 lakhs;

(ii) “परियोजना हाथी ” - ₹300.00 लाख ;

(ii) “Project Elephant” - ₹300.00 lakhs;

(iii) “राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास/वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास के लिए सहायता”- ₹750.00 लाख ;

(iii) “Assistance to Development of National Parks and Sanctuaries/Integrated Development of Wildlife Habitates”- ₹750.00 lakhs;

- | | |
|---|---|
| <p>(छ) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भव-संरक्षण कार्यक्रम” -</p> <p>(i) “जीवमंडल रिजर्व” - ₹150.00 लाख ;</p> <p>(ii) “मैंग्रोव पारिस्थितिकी-प्रणाली और आर्द्र भूमि”- ₹150.00 लाख ;</p> <p>(ज) “अन्य (वानिकी और वन्य जीव) - अन्य व्यय - प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता” - ₹200.00 लाख; और</p> <p>(i) “वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - भारतीय वानिकी और शिक्षा परिषद” - ₹500.00 लाख।</p> | <p>(g) “Environmental Research and Ecological Regeneration– Conservation Programme”-</p> <p>(i) “Biosphere Reserves”- ₹150.00 lakhs;</p> <p>(ii) “Mangroves Eco-Systems and Wetlands”- ₹150.00 lakhs;</p> <p>(h) “Others (Forestry and Wildlife) – Other Expenditure – Assistance for Abatement of Pollution”– ₹200.00 lakhs; and</p> <p>(i) “Forestry – Education and Training – Indian Council of Forestry and Education”- ₹500.00 lakhs.</p> |
|---|---|

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above thirteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2406” - “पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव” के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है, पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head “2406” –“Environmental Forestry and Wildlife” – remained wholly unutilised under the following heads as shown against:-

(का) “वन्यजीव परिरक्षण - अन्य स्कीमें” - ₹1941.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1951.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹356.54 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) परियोजना बंद किए जाने और सीएस प्रभाग को अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(A) “Wildlife Preservation – Other Schemes” – the original provision of ₹1941.00 lakhs was augmented to ₹1951.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10.00 lakhs. However, there was a saving of ₹356.54 lakhs (including supplementary grant) - due to scrapping of the project and transfer to CS Division.

(खा) “प्राणिउद्यान - राष्ट्रीय प्राणिउद्यान, नई दिल्ली” - ₹836.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹15.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹851.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹32.21 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(B) “Zoological Park – National Zoological Park, New Delhi” – the original provision of ₹836.00 lakhs was augmented to ₹851.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15.00 lakhs. However, there was a saving of ₹32.21 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक शीर्ष के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष “2406” - “वानिकी - वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग - भारतीय वन सर्वेक्षण” - ₹1389.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹210.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1599.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने और मूल्यांकन रिपोर्टों के प्राप्त न होने के कारण ₹45.18 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3435” -

(क) “सर्वेक्षण (वानस्पतिक)” -

(i) “निदेशन और प्रशासन - क्षेत्रीय कार्यालय” - ₹345.68 लाख के मूल प्रावधान को ₹166.43 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹512.11 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹28.28 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(ii) “अनुसंधान - क्षेत्रीय कार्यालय” - ₹1743.03 लाख के मूल प्रावधान को ₹292.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2035.03 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹215.14 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(ख) “सर्वेक्षण (प्राणिविज्ञान)” -

(i) “निदेशन और प्रशासन - क्षेत्रीय कार्यालय” - ₹584.75 लाख के मूल प्रावधान को ₹60.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹644.75 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹16.25 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ii) “अनुसंधान - क्षेत्रीय कार्यालय” - ₹1240.75 लाख के मूल प्रावधान को ₹62.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1302.75 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹25.72 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head “2406” - “Forestry – Survey and Utilisation of Forest Resources – Forest Survey of India” - the original provision of ₹1389.00 lakhs was augmented to ₹1599.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹210.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹45.18 lakhs – due to receipt of less viable proposals and non-receipt of evaluation reports.

(B) Major Head “3435”-

(a) “Survey (Botanical)” -

(i) “Direction and Administration – Regional Office” - the original provision of ₹345.68 lakhs was augmented to ₹512.11 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹166.43 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹28.28 lakhs;

(ii) “Research - Regional Office” – the original provision of ₹1743.03 lakhs was augmented to ₹2035.03 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹292.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹215.14 lakhs;

(b) “Survey (Zoological)” -

(i) “Direction and Administration – Regional Office” - the original provision of ₹584.75 lakhs was augmented to ₹644.75 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹60.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹16.25 lakhs; and

(ii) “Research - Regional Office” – the original provision of ₹1240.75 lakhs was augmented to ₹1302.75 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹62.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹25.72 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें वैज्ञानिक उपकरणों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष “2406” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - वन प्रबंधन के लिए क्षमता विकास और कार्मिकों को प्रशिक्षण” - ₹2088.93 लाख की बचत (₹3490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(खा) “वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी और विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड” - ₹343.23 लाख की बचत (₹1050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने तथा मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3435” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भव” -

(क) “पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण/विस्तार - राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय” - ₹173.02 लाख की बचत (₹971.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) “संरक्षण कार्यक्रम - जीवमंडल रिजर्व्स” - ₹138.27 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) “पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय - पर्यावरणीय सूचना प्रणाली” - ₹111.26 लाख की बचत (₹761.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

Savings under the above four heads were due to non-completion of process of procurement of scientific equipments.

(IV) Under Major Head “2406” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Forestry - Education and Training – Capacity Development for Forests Management and Training of Personnel” – saving of ₹2088.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3490.00 lakhs) was due to delay in signing the agreement by the State Government.

(B) “Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme – National Afforestation and Eco-Development Board” – saving of ₹343.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1050.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals and non-receipt of evaluation reports.

(V) Under Major Head “3435” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Environmental Research and Ecological Regeneration” –

(a) “Environmental Education Training/ Extension – National Museum of Natural History” – saving of ₹173.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹971.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(b) “Conservation Programme – Biosphere Reserves” – saving of ₹138.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs);

(c) “Environmental Planning and Co-ordination – Environmental Information System” – saving of ₹111.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹761.00 lakhs); and

(खा) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण” -

(क) “प्रभाव निर्धारण - स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन” - ₹110.36 लाख की बचत (₹305.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “वायु और जल प्रदूषण का निवारण - जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण (उपकर)” - ₹626.30 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल उपकर भाग की प्रतिपूर्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) “अन्य - अन्य व्यय - खतरनाक पदार्थ प्रबंधन” - ₹1833.98 लाख की बचत (₹3250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के विलम्ब से शुरू होने के कारण हुई।

(VI) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹439.63 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹21866.89 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2770.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध के द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:

(का) मुख्य शीर्ष “2406” -

(क) “वानिकी” -

(i) “शिक्षा और प्रशिक्षण - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी” - ₹600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹595.36 लाख था।

(B) “Prevention and Control of Pollution” -

(a) “Impact Assesment – Development and Promotion of Clean Technology” – saving of ₹110.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹305.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of utilisation certificates.

(b) “Prevention of Air and Water Pollution – Prevention and Control of Water Pollution (Cess)” – saving of ₹626.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to requirement of less funds for reimbursement of Water Cess share to States and Central Pollution Control Board.

(C) “Others – Other Expenditure – Hazardous Substance Management” – saving of ₹1833.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3250.00 lakhs) was due to late start of project.

(VI) Under six heads savings of ₹439.63 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 14 percent to 85 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹21866.89 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2770.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head “2406” -

(a) “Forestry” -

(i) “Education and Training – Indira Gandhi National Forest Academy” - ₹600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹595.36 lakhs.

- | | |
|--|--|
| <p>(ii) “अनुसंधान - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्” - ₹2160.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2158.00 लाख था।</p> | <p>(ii) “Research – Indian Council of Forestry Research and Education” – ₹2160.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2158.00 lakhs.</p> |
| <p>(ख) “वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम” ₹8199.84 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8198.83 लाख था।</p> | <p>(b) “Afforestation and Eco-Development – National Afforestation and Eco-Development Programme – National Afforestation Programme” – ₹8199.84 lakhs. Actual excess, however, was ₹8198.83 lakhs.</p> |
| <p>(खा) मुख्य शीर्ष “3435” -</p> | <p>(B) Major Head “3435” –</p> |
| <p>(क) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन” -</p> | <p>(a) “Environmental Research and Ecological Regeneration” –</p> |
| <p>(i) “पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय - उत्कृष्टता केन्द्र” - ₹275.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹264.88 लाख था।</p> | <p>(i) “Environmental Planning and Co-ordination – Centres of Excellence” – ₹275.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹264.88 lakhs.</p> |
| <p>(ii) “अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन - पारिस्थितिकी-विकास बल” - ₹2000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1990.91 लाख था।</p> | <p>(ii) “Research and Ecological Regeneration - Eco-Development Forces” – ₹2000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1990.91 lakhs.</p> |
| <p>(iii) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन/निकाय” - ₹1138.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1136.62 लाख था।</p> | <p>(iii) “International Cooperation – Other International Organisations/Bodies” – ₹1138.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1136.62 lakhs.</p> |
| <p>(ख) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण” -</p> | <p>(b) “Prevention and Control of Pollution” –</p> |
| <p>(i) “राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम” - ₹2594.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2588.25 लाख था।</p> | <p>(i) “Prevention of Pollution of National Rivers – National River Conservation Programme” – ₹2594.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2588.25 lakhs.</p> |
| <p>(ii) “वायु और जल प्रदूषण का निवारण - पर्यावरण प्राधिकरणों की स्थापना” - ₹80.36 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹56.37 लाख था।</p> | <p>(ii) “Prevention of Air and Water Pollution – Establishment of Environment Authorities” – ₹80.36 lakhs. Actual excess, however, was ₹56.37 lakhs.</p> |
| <p>(iii) “प्रभाव निर्धारण - पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण कार्यक्रम” - ₹126.12 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹109.14 लाख था।</p> | <p>(iii) “Impact Assessment – Environmental Impact Assessment Programme” – ₹126.12 lakhs. Actual excess, however, was ₹109.14 lakhs.</p> |

- (ग) “अन्य - अन्य व्यय” -
- (i) “जैव-विविधता संरक्षण” - ₹229.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹222.94 लाख था।
- (ii) “प्रदूषण के उपशमन, पर्यावरण नीति और विधि के लिए सहायता” - ₹181.97 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹182.60 लाख था।
- (ग) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण” -
- (क) “परियोजना बाघ - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सहायता” - ₹3882.60 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3882.00 लाख था।
- (ख) “परियोजना हाथी” - ₹400.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹397.09 लाख था।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (का) मुख्य शीर्ष “2406” - “पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - वन्यजीव परिरक्षण - केन्द्रीय प्राणिकुलान प्राधिकरण” - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹1435.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (खा) मुख्य शीर्ष “3435” - “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन - पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरणीय शिक्षा” - ₹127.77 लाख का अधिक व्यय (₹4404.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (गा) मुख्य शीर्ष “3601” -
- (क) “केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -
- (i) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम” -
- (c) “Others – Other Expenditure” -
- (i) “Bio-diversity Conservation” - ₹229.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹222.94 lakhs.
- (ii) “Assistance for Abatement of Pollution, Environment Policy and Law” - ₹181.97 lakhs. Actual excess, however, was ₹182.60 lakhs.
- (C) Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation” -
- (a) “Project Tiger – Assistance to National Parks and Sanctuaries” - ₹3882.60 lakhs. Actual excess, however, was ₹3882.00 lakhs.
- (b) “Project Elephant” - ₹400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹397.09 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head “2406” - “Environmental Forestry and Wildlife – Wildlife Preservation – Central Zoo Authority” - excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1435.00 lakhs);
- (B) Major Head “3435” - “Environmental Research and Ecological Regeneration - Environmental Education Training/Extension – Environmental Education” - excess of ₹127.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4404.00 lakhs);
- (C) Major Head “3601” -
- (a) “Grants for Central Plan Schemes” -
- (i) “Environmental Research and Ecological Regeneration– Conservation Programme” -

- | | |
|---|---|
| <p>(1) “जीवमंडल रिजर्व्स” - ₹255.69 लाख का अधिक व्यय (₹650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;</p> <p>(2) “आर्द्र भूमि” - ₹168.81 लाख का अधिक व्यय (₹825.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;</p> <p>(ii) “वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भव-एकीकृत वन संरक्षण स्कीम/वन प्रबंधन का सुदृढीकरण” - ₹1298.87 लाख का अधिक व्यय (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;</p> <p>(ख) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरणीय वानिकी और वन्यजीव - प्राणि परिरक्षण - राष्ट्रीय उद्यान के विकास/वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास के लिए सहायता” - ₹1238.00 लाख का अधिक व्यय (₹6100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।</p> | <p>(1) “Biosphere Reserves”- excess of ₹255.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs);</p> <p>(2) “Wetlands” - excess of ₹168.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹825.00 lakhs);</p> <p>(ii) “Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration– Integrated Forest Protection Scheme/ Intensification of Forest Management”- excess of ₹1298.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs);</p> <p>(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Environmental Forestry and Wildlife - Zoological Preservation – Assistance for Development of National Park/Integrated Development of Wildlife Habitats” - excess of ₹1238.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6100.00 lakhs).</p> |
|---|---|

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹76.74 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹76.74 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹115.48 लाख) नवम्बर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹47.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹115.48 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹47.00 lakhs obtained in November, 2010 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय द्वारा निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4406"	Major Head "4406"			
वानिकी और वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Forestry and Wildlife			
मू.	O.	93.00		
			511.00	503.35
				-7.65
पु.	R.	418.00		
मुख्य शीर्ष "5425"	Major head "5425"			
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research			
मू.	O.	3349.00		
			2978.00	2870.17
				-107.83
पू.	S.	47.00		
पु.	R.	-418.00		

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

(I) मुख्य शीर्ष "5425" - "पारिस्थितिकी और पर्यावरण - सिविल इंजीनियरी स्कंध" के अंतर्गत ₹349.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹47.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹396.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹47.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment - Civil Engineering Wing" - the original provision of ₹349.00 lakhs was augmented to ₹396.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹47.00 lakhs. However, there was a saving of ₹47.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(II) मुख्य शीर्ष "5425" - "पारिस्थिति और पर्यावरण - नए सिविल निर्माण कार्य" के अंतर्गत ₹478.83 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जोर बाग में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य धीमी गति से किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment - New Civil Works" - saving of ₹478.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to slow progress of work of office building at Jor Bagh by Central Public Works Department.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “4406” - “वानिकी - संचार और भवन - नए सिविल निर्माण कार्य” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹410.35 लाख का अधिक व्यय (₹93.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय प्राणिउद्यान में जल निकासी प्रणाली में सुधार के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head “4406” – “Forestry – Communication and Buildings – New Civil Works” – excess of ₹410.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹93.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards improvement of drainage system in National Zoological Park.
